

Date: August 22, 2026

To,
The Department of Corporate Services,
The BSE Limited
P.J. Tower, Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 544248

Scrip Symbol: MACHLTD

Subject: Newspaper Publication for the information regarding 22nd Annual General Meeting to be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), Notice of E-voting & Dividend

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of the newspaper advertisements published today (i.e. August 22, 2026) in the Newspapers (including e-Newspapers) viz. Financial Express (in English) and Jansatta (in Hindi), Delhi editions, inter alia informing about the:

1. 22nd Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, September 15, 2026 through VC / OAVM.
2. Record date for ascertaining the list of Members who would be entitled to receive dividend; and
3. Information on Dividend.

This information is also available on the website of the company at:
<https://machtravelsolutions.com/investor/>

Thanking You,

Yours faithfully,

For Mach Travel Solutions Limited
(Formerly known as Mach Conferences and Events Limited)

AMIT BHATIA
Digitally signed
by AMIT BHATIA
Date: 2026.08.22
15:56:31 +05'30'

Amit Bhatia
Chairman & Managing Director
DIN: 00351412

Encl: As above

CIN No.
L74110DL2004PLC126130

Corporate Office:
Plot No. 1A, 10th Floor, Sector-73,
Noida Uttar Pradesh – 201301, India

Registered Office
Office No. 4, 2nd Floor, Master Space,
Plot No. 27, KH/Mustatil No. 154, Killa No. 19/2,
Uggarsain Park, Dichaon Road, Najafgarh, New Delhi – 110043

Mach Travel Solutions Limited
(Formerly known as Mach Conferences and Events Limited)

+91 - 120 - 4747000
Info@machtravel.com
www.machtravelsolutions.com

Noida | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Bhubaneswar

प्रो सीएलबी ग्लोबल लिमिटेड
CIN: L74899DL1994PLC058964
पंजीकृत कार्यालय: 325, IIIrd फ्लोर, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14,
सोहिग्री, दिल्ली-110085
कॉर्पोरेट कार्यालय: 407, ऑर्बिट, गुरुगढ़ सोनी गेड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
ऑडिटोरियम फॉर पब, ब्रोडफेस्ट, अहमदाबाद-380054;
ईमेल: cs@proclbglobal.com; वेबसाइट: www.proclbglobal.com;
फोन नं.: +91 9893342402

पोस्टल बैलेट सूचना का शुद्धिपत्र

मद सं. 2 में निर्दिष्ट प्रस्ताव को पारित करने के लिए 19 जुलाई 2026 के पोस्टल बैलेट सूचना का शुद्धिपत्र। यह शुद्धिपत्र शेयरधारकों को पहले से जारी और ई-मेल/ प्रेषित मूल सूचना की निरंतरता में जारी किया गया है और उसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(क) प्रस्ताव सं. 2 के व्याख्यात्मक विवरण के निम्नलिखित विवरणों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। प्रस्ताव सं. 2 के व्याख्यात्मक विवरण में परिवर्तन:

3. बिंदु सं. (एच) में, पैराग्राफ- "उन प्राकृतिक व्यक्तियों की पहचान जो आवंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों के अंतिम लाभकारी स्वामी हैं और/या जो अंततः प्रस्तावित आवंटियों को नियंत्रित करते हैं", के निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(क) क्रम सं. 66 में, यूबीओ को 'लागू नहीं' से बदलकर 'हर्षा संजय सिरिया' कर दिया गया है।

कृते, प्रो सीएलबी ग्लोबल लिमिटेड
हस्ता./-

दिनांक: 21.08.2026
मोहनील नवीनचंद्र वोरा
स्थान: अहमदाबाद
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ACE

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

सीओईओ: 174899HAR1995SLCS3860

पंजीकृत कार्यालय: सूचीकृत ठिके रोड, सूचीकृत, जिला पलवल-121102, हरियाणा
 फोन: +91-1275-280111 (50 लाइन्स), फैक्स: +91-1275-280133
 ई-मेल: cs@ace-cranes.com, वेबसाइट: www.ace-cranes.com

वीडियो कॉन्फ्रेंस (‘वीसी’) और अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों (‘ओएसएमए’) के माध्यम से 32वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन के संबंध में सूचना

वार्षिक आम बैठक

1. शेयरधारक ध्यान दें कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (‘कंपनी’) के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2022 को दोपहर 12:00 बजे** (भारतीय मानक समय) ‘वीसी’ ‘ओएसएमए’ के माध्यम से कंपनी अधिवेशन, 2013 के लघु प्राधान्यों और उसके अनुरोध निर्माण विधियों तथा सेवा (‘सूचीबद्धता चार्टर और प्रकटनकर्ता अधिनियम’) विधियों, 2015 के संशोधित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिचय संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 10/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 2/2022 दिनांक 13 जनवरी, 19/ 2021 दिनांक 08 फरवरी, 2021, 21/ 2021 दिनांक 14 सितंबर, 2021, 2/ 2022 दिनांक 05 मई, 2022, 10/ 2022 दिनांक 28 फरवरी, 2022, 09/ 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, 09/ 2024 दिनांक 09 सितंबर, 2024 तथा 03/ 2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (जिन्हें सामूहिक रूप से ‘एमसीएए परिचय’ कहा गया है) तथा भारतीय प्रभुत्व और विनियम बोर्ड और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिचय (जिन्हें सामूहिक रूप से ‘एमसीए’ कहा गया है) के अनुषंगान्त में, वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित कार्य का निष्पादन करने के लिए

उपरोक्त बात को ध्यानपूर्वक से अनुशासन में, वाक्यांश अथवा शब्दों को सूचना और ई-मेल 2025-26 को वाक्यों के अंतर्गत की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ संकलित करने उप सदस्यों को नवीं जूनियर, जिन्होंने ई-मेल आईडी कंपनी/डिजिटल/डिजिटल प्रतियों को प्राप्त कीजिए। यह व दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ace-cranes.com तथा रॉडर एक्सप्रेसजो, अर्थात् वॉरिडर लिमिटेड और नेशनल स्ट्रोक एक्वायल ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com और www.evoting.nsdl.com पर की उपलब्ध होगी। वॉरिडर अथवा बैंक की सूचना नेशनल सिस्कोइजिटी डिजिटल/डिजिटल लिमिटेड, जो रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा वॉरिडर अथवा बैंक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी है, की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर की उपलब्ध कराई जाएगी।

3. कंपनी के साथ निम्न सदस्यों में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अद्यतन की है। यह उप सदस्यों द्वारा ई-मेल प्राप्त कीजिए/अद्यतन करने की प्रक्रिया:

- ग्राहक बैंक में शेयरधारक सदस्य: सदस्य कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म आईएसएसआर-1 तथा अन्य संबंधित फॉर्म को भरकर और शेयरपॉलिटी विवरण सहित कंपनी के रजिस्ट्रार एवं हस्ताक्षर प्राप्त, अर्थात् खाताबंदता प्रमाणित करने के लिए सदस्यों को admin@skylinert.com पर भेजकर अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत/अद्यतन कर सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक बैंक में शेयरधारक सदस्य: सदस्यों को कंपनी से तभी प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/डिजिटल/डिजिटल प्रतियों को प्राप्त कीजिए/अद्यतन करनी होगी।

4. ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया:

- अ. सदस्यों को वॉरिडर अथवा बैंक की सूचना में डिजिटल प्रतियों के संकल्प में ई-वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के माध्यम से अपने वोट की दृष्टि को दर्ज कराना होगा।
- ब. ईमेल फॉर्म में अपना ग्राहक बैंक में शेयरधारक सदस्यों द्वारा उप सदस्यों द्वारा, जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया वॉरिडर अथवा बैंक की सूचना में दी गई है।
- ब. वॉरिडर अथवा बैंक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वॉरिडर अथवा बैंक में उपस्थित थे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं दिया है, बैंक के दौरान अपना वोट दर्ज कर सकते हैं।
- ग. ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए प्रवेश संबंधी विवरण सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। निम्न सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होता है अथवा लिमिटेड/डिजिटल/डिजिटल प्रतियों को प्राप्त कीजिए/अद्यतन कर सकते हैं।
- घ. वॉरिडर अथवा बैंक की वेबसाइट/डिजिटल/डिजिटल प्रतियों को प्राप्त कीजिए/अद्यतन कर सकते हैं।

5. यही प्रवेश संबंधी विवरण वोटिंग को वॉरिडर के माध्यम से वॉरिडर अथवा बैंक में प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किया जा सकते हैं।

5. लभार्थ प्राप्त करने के लिए अधिदेश पंजीकृत करने की प्रक्रिया:

- ग्राहक बैंक में शेयरधारक सदस्य: कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म आईएसएसआर-1 तथा अन्य संबंधित फॉर्म भरकर और शेयरपॉलिटी विवरण सहित कंपनी के रजिस्ट्रार एवं हस्ताक्षर प्राप्त, अर्थात् खाताबंदता प्रमाणित करने के लिए सदस्यों को admin@skylinert.com पर भेजकर अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत/अद्यतन कर सकते हैं।

माच ट्रैवल सॉल्यूशंस लिमिटेड
(पूर्व में माच कॉन्फ़रेंस एंड इवेंट्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
CIN: L74110DL2004PLC126130

पंजी. कार्यालय: ऑफिस नं.- 4, 2री मंजिल, माउन्ट रोड, प्लॉट नं.- 27,
खतरा/मुलतली नं.- 154, किल्ला नं.- 19/2, उत्तरायन पार्क, दिवाका रोड,
नजफगढ़ स्ट्रीट नं.- 2, नजफगढ़, दक्षिण पश्चिम दिल्ली,
नई दिल्ली, दिल्ली- 110043

फोन: +91-1204747000, **ईमेल** info@machtravel.com,
वेबसाइट: www.machtravelsolutions.com

वीडियो कॉन्फ़रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम")
के जरिए आयोजित होने वाली

1. 22वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और लाभांश की सूचना एकादश सूचना से ज्ञाती है कि माच ट्रैवल सॉल्यूशंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी प्राप्ति प्रावधानों और उसके तहत जारी नियमों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी और वित्तियम बोर्ड ("सेबी") ("सूचीबद्ध व्यापारियों और प्रकटितकरण अध्यायकानों") विनियम, 2015 के साथ पंडित कॉर्पोरेट ग्राहक मंत्रालय ("एसबीआई") द्वारा जारी 08 अप्रैल 2020 के सामान्य परिचय नं. 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिचय नं. 17/2020, तलबखत 05 मई 2020 के परिचय नं. 20/2020, 13 जनवरी 2021 के परिचय नं. 02/2021, 28 फरवरी के परिचय नं. 22 के परिचय नं. 10/2022, 25 फरवरी के परिचय नं. 09/2023, 19 फरवरी 2024 के परिचय नं. 09/2024 के परिचय नं. 01 के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के विस्तार के संबंध में 22 फरवरी 2025 के परिचय नं. 03/2025 या किसी भीसे हटा जारी 03 अक्टूबर 2024 के सेबी परिचय नं. SEBI/HO/CFD/COD-POB-2/P/CIR/2024/133 और 2024/133 और इस संबंध में एकादश एच सेबी द्वारा जारी अन्य लागू परिचयों के अनुपात में समकाल, 15 फरवरी 2026 को दोपहर 12:00 बजे (प्रा.मा.स.) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जानी संभव है। ई बिजनेस एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए जाने वाले व्यवसायों को निष्पातित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को अधिनियम की प्राप्ति 103 के तहत कोरम को गणना के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम नोटिस और एकोनक वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण - वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकोनक वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण, एकादश का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकोनक वार्षिक रिपोर्ट के तहत 22वीं सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिन्हें ई-मेल पते कंपनी या कंपनी के रिजल्टर और ट्रान्स्फर एजेंट या तब कदाचित् कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट प्रदाता लिमिटेड ("आउटरीट") या उसके संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म ("पोर्टल") के पास पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम नोटिस और एकोनक वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.machtravelsolutions.com, उस रजिस्ट्रार के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("एलएसएस") के माध्यम से (www.bseindia.com), तथा नेशनल वित्तीय डिजिटल रिजल्टर लिमिटेड ("एनएसआरएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर या उपलब्ध काले जारुन।

3. ई-मेल पते पंजीकृत अद्यतन करने का तरीका- इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम नोटिस और वित्तीय वर्ष 2025-26 को पंजीकृत वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिजिटल रिजल्टर के माध्यम से अपने ई-मेल पते डिजिटलाइजेशन के पास पंजीकृत अद्यतन करें।

4. ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका- कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए रिजल्टर ई-वोटिंग सिस्टम का रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की डिजिटल पहिचान एजीएम नोटिस में प्रदान की गई है। यदि सदस्य ई-मेल पते पर ई-मेल से तो कंपनी डिजिटल ई-मेल पते पर भेजे जा रहे हैं। सदस्यों से अनुरोध है वोट डालने के लिए निर्दिष्ट ई-मेल पते पर भेजे जा रहे हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे जैसा भी लागू हो, कंपनी द्वारा ई-वोटिंग/डिजिटल रिजल्टर के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करें।

कंपनी के रिजल्टर और वोट ट्रान्स्फर एजेंट का विवरण: स्कॉटीनर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं.- 1539, पार्क मैजिन, ओपनसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना, नई दिल्ली, दिल्ली-110020, फोन नं. 011-40450193-97, ईमेल: info@skyni.in, वेबसाइट: www.skyni.in

कृते एवं और
माच ट्रैवल सॉल्यूशंस लिमिटेड
हस्ता./-
सदस्यी श्रीवाराध
कंपनी सचिव एवं अनुपाल अधिकारी

दिनांक: 22-08-2026
स्थान: नई दिल्ली

को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने, रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने अथवा वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

एकशन कस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

हस्ता /—
अनिल कुमार
कंपनी सचिव

दिनांक: 21-08-2026
स्थान: पलवल

1. एवोटींग सेक्टर पूरबी में उभरे शेयरों के अनुप्राप्त में होना। कहीं भी व्यक्ति जो कर-आर्थि तथि क कंणी का सदस्य है, वह एवोटींग नोटिस में निधारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम पर ई-वोटिंग के माध्यम से एवोटींग कर लेनी चाहिए।

2. कोई भी व्यक्ति जो एवोटींग द्वारा एजीएम नोटिस में बने जेजे के बाब कंणी के शेयर प्राप्त करी है और कंणी का सदस्य बनता है और कर-आर्थि तथि बासी बुधवार, 09 सितंबर 2026 को शेयर रखता है, यह अपना वोट खाने के लिए अपने फोहोलेर नंबर/आईडी और बलसाट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com या admin@skylinertm.com पर ई-मेल भेजकर पुनर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एपारसडीएल के पास पहले से नजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूद एजीएम आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

3. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि नवंबर, 13 सितंबर 2026 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और मिनटवार, 15 सितंबर 2026 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके बाद एपारसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। किसी सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, उभरे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

4. इस आईडी के दौरान, भीतिक रूप में या हमीट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

5. सदस्यों को एजीएम पर ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले से सदस्य, जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट डालने के लिए सदस्यों से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाला है, वे एजीएम में शामिल होने के लिए प्राप्त होना।

6. वोट डालने, वे एजीएम में पुनः वोट डालने के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

7. रिमोट ई-वोटिंग को विस्तृत प्रक्रिया और कानूनी, एजीएम पर ई-वोटिंग और वोट/ओपेराटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम नोटिस में दिए गए हैं और कंणी की वेबसाइट <https://perfectcap.com/annual-reports/> तथा एपारसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

8. सदस्य एजीएम नोटिस में उल्लेखित दस्तावेज प्रदान करने ई-वोटिंग के लिए आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु evoting@nsdl.com पर अनुप्रेषण भेज सकते हैं।

9. ई-वोटिंग से संबंधित कंणी की प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई-वोटिंग प्रश्न मैनुअल देखें या टोल फ्री नंबर 022-48867000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.com पर अनुप्रेषण करें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से जुड़ी शिकायतों की भी निवारण करेंगे।

10. कंणी के निदेशक मंडल में मेसर्स आरएसएल एडवोकेट्स एंड कानूनी सेक्रेटरीज के पारनर श्री रवि शर्मा (एपारसडीएल सं. 4468, श्री सं. 3666) और/या सुनील सुमन पंडे (एपारसडीएल सं. 7606, श्री सं. 8404) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और वोट/ओपेराटिंग में ई-वोटिंग की प्रक्रिया को जीब करने के लिए स्कूटनमाजूर नियुक्त किया है।

11. परिणाम लागू कानूनों के तहत निर्धारित सभ्य के भीतर घोषित किए जाएंगे और स्कूटनमाजूर को समीक्षित निर्णय के साथ, कंणी की वेबसाइट www.perfectcap.com, एपारसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर रखे जाएंगे और सीएसई लिस्टिड की www.bseindia.com पर सुनिश्चित किए जाएंगे।

लाभार्थी और रिफाईड तिथि

कंणी के निदेशक मंडल ने 13 मई 2026 को निर्धारित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आंतरआय 2/- (प्रत्येक) के अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर आइएनएयू 1.00/- (यानी 50%) के लाभार्थी का निर्धारण किया है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर, लाभार्थी प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पारता धारित करने हेतु रिफाईड तिथि, यानी 09 सितंबर 2026 को इलेक्ट्रॉनिक या भीतिक रूप में कंणी के इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभार्थी का भुगतान किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुप्रेषण है कि वे अपने लाभार्थी प्राप्त का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एजीएम नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने बैंक विवरण अद्यतन करें।

लाभार्थी पर कर

वित्त अधिनियम, 2026 के प्राधान्यों में संचित प्राप्त आकर अधिनियम, 2025 (आईटी अधिनियम) के प्राधान्यों के तहत, लाभार्थी आयात शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और शेयरधारकों को आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित कर से शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभार्थी से स्रोत पर कर कटने की आवश्यकता होती है। स्रोत पर कर की पूर्णता आवश्यक नहीं है, शेयरधारकों की क्षेणी और आईटी अधिनियम के तहत प्रदान की गई शर्तों की पूर्णता के अधीन होती। इसलिए, शेयरधारकों से अनुप्रेषण है कि वे 09 सितंबर 2026 को या उससे पहले complianceofficer@perfectcap.com पर ई-मेल के माध्यम से कर संबंधी दस्तावेज/घोषणाएं भेजें ताकि कंणी लागू उचित वित्तीय रिपोर्टिंग टैक्स दर निर्धारित करने में सक्षम हो सके।

नोट, परफेक्टकैप लिमिटेड

हस्ता./-
निधि
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.08.2026
कंणी सचिव